

क्रम संख्या— 61(क)

पंजीकृत संख्या—डी0एन0 / 30—2009—2011 (लाइसेन्स टू पोस्ट  
विदाउट प्रीपेमेन्ट)

## सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड

### सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार 21 अप्रैल, 2011 ई0 वैशाख 01,

1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 162 / विधायी एवं संसदीय

कार्य / 2011 देहरादून, 21 अप्रैल, 2011

अधिसू

चना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2011 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 11 वर्ष 2011}

उत्तराखण्ड राज्य के भवाली, नैनीताल में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है  
:-

संक्षिप्त नाम और  
2011  
प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम,  
है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत  
करे।

परिभाषाएं

2. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में;

(एक) “विद्या परिषद्” से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(दो) “बार काउंसिल” से उत्तराखण्ड की राज्य बार काउंसिल अभिप्रेत है;

(तीन) “कुलाधिपति” से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

- (चार) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;
- (पाँच) "शासी परिषद्" से विश्वविद्यालय की शासी परिषद् अभिप्रेत है;
- (छः) "विहित" से विनियमावली द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (सात) "कुल सचिव" से विश्वविद्यालय का कुल सचिव अभिप्रेत है;
- (आठ) "विनियमावली" से विश्वविद्यालय की विनियमावली अभिप्रेत है;
- (नौ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;
- (दस) "विश्वविद्यालय" से उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ग्यारह) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय  
उत्तराखण्ड

विधि विश्वविद्यालय  
जायेगी।  
की स्थापना और  
निगमन

3. (1) ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ज्ञात नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की

(2) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी, जिसका शास्वत और उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा या इसके विरुद्ध सभी वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचनों को कुलसचिव द्वारा कुलपति की सहमति से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जायेगा एवं इस तरह के वादों और कार्यवाहियों के प्रक्रम कुलपति को जारी तथा उनके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(4) { विश्वविद्यालय का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। }

1- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

विश्वविद्यालय के  
उद्देश्य

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य पहोंगे; अर्थात् :-

राष्ट्रीय

विधान,  
विकास  
विकास

(क) विधि और विधिक प्रक्रियाओं तथा विधि की भूमिका के अध्ययन और ज्ञान को विकास में प्रसारित और अग्रसरित करना;

(ख) छात्र और अनुसंधानविद् में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं, विद्यमान विधियों में विधि सुधार और तत्समान के सम्बन्ध में कौशल का करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का करना;

(ग) विधिक ज्ञान का संवर्धन करने और विधि एवं विधिक प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन का दक्ष माध्यम बनाने के लिए व्याख्यानों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, परिसंवादों, निवार्चिका सभाओं, विमर्श गोष्ठी और सम्मेलनों आदि का आयोजन करना;

(घ) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियाँ और अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और;

(ङ) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक आवश्यक या सम्बन्धित हों।

विश्वविद्यालय की  
शक्तियाँ और कृत्य

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे; अर्थात् :-

और  
आवश्यक हों;

(एक) अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए

- (दो) विधि से सम्बन्धित ज्ञान या अध्ययन की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा विधिक ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;
- (तीन) विधिक तथा न्यायिक सुधार पर बल देते हुए विधि तथा न्याय के सभी पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना;
- (चार) किसी उपाधि या उपाधि पत्र (डिप्लोमा) हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएं विहित करना और उन्हें विनियमित करना;
- (पाँच) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधियाँ एवं विद्या सम्बन्धी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को उचित व पर्याप्त कारणों से वापस लेना;
- (छ:) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को विहित रीति से प्रदान करना;
- (सात) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;
- (आठ) सभागृहों के साथ-साथ छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख-रखाव करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;
- (नौ) ऐसे विशेष केन्द्रों, विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों या शोध के लिए अन्य इकाईयों की स्थापना करना तथा उन्हें अनुदेशित करना जो विश्वविद्यालय के विचार में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो;
- (दस) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए व्यवस्था करना;
- (ग्यारह) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;
- (बारह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिकीय और अन्य पदों का सृजन करना;
- (तेरह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जायें;
- (चौदह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित पदों का सृजन करना; (पन्द्रह) आचार्यों, उपाचार्य/सहायक आचार्यों, प्रवक्ता के रूप में या विश्वविद्यालय के अध्यापक और अनुसंधानविदों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (सोलह) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
- (सत्रह) अनुसंधान पत्रों तथा पाठ्य सामग्री के मुद्रण तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना;
- (अठारह) विधि, न्याय, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके सम्बन्ध में तय किया गया हो ऐसे निबन्धन और शर्तों पर, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, संयोजित करना;
- (उन्नीस) अध्यापकों और विद्वानों के आदान-प्रदान और सामान्यतः ऐसी रीति से जो सामान्य उद्देश्यों के लिए साधक हो, विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के सदृश हों, संयोजित करना;
- (बीस) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबन्ध करना;
- (इक्कीस) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी ऐसे कक्षा-कक्षों, अध्ययन हॉलों, पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों की स्थापना और रख-रखाव उपलब्ध कराना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

- (बाइस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों के सुसंगत जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;
- (तेईस) किसी ऐसे भूमि, भवन या संकर्म को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिसे वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या निर्मिति का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख-रखाव करना;
- (चौबीस) विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उसके किसी भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर विक्रय करना, आदान-प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना :
- परन्तु यह कि जहाँ सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहां राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।
- (पच्चीस) भारत सरकार सम्बन्धी और अन्य बचत-पत्रों, विनियम पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मितिकाटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना;
- (छब्बीस) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के सम्बन्ध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्र, अन्तरण, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;
- (सत्ताइस) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना;
- (अट्ठाइस) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना;
- (उन्तीस) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा, वह ठीक समझे, धन जुटाना और लेना और विश्वविद्यालय की निधि से समस्त व्ययों का, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;
- (तीस) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, का विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;
- (इक्तीस) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जायं, जैसे- पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान की स्थापना करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना, जैसा वह विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थानों, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए लाभप्रद हों;
- (बत्तीस) ऐसे सभी अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे;
- (तैंतीस) समय-समय पर विश्वविद्यालय के मामलों तथा प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए आवश्यक विनियमों को बनाना एवं उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित तथा विखण्डित करना;

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | (चौतीस) इसकी सभी अथवा किन्हीं शक्तियों को विश्वविद्यालय के कुलपति या किसी समिति अथवा किसी उप समिति या किसी एक या अधिक सदस्यों अथवा इसके अधिकारियों को प्रदान करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन विहित          | 6. (1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में सभी मान्यता अध्यापन विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा शासी परिषद् के नियंत्रण के अधीन यथा पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे।<br>(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जाये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं कुलाध्यक्ष होंगे। | 7. (1) भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।<br>(2) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति<br>(3) कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवन, पुस्तकालय तथा उपस्कर और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।<br>(4) कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जाँच कराये जाने के अपने आशय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसी निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और उसे सुने जाने का अधिकार होगा।<br>(5) कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के सम्बन्ध में कुलपति को लिख सकेगा और कुलपति, कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति के विचारों एवं साथ में ऐसी सलाह के बारे में, जो कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति ने उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रदान की हो, शासी परिषद् को संसूचित करेगा।<br>(6) शासी परिषद् ऐसे निरीक्षण या जाँच पर स्वयं द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष अथवा कुलाधिपति को संसूचित करेगी। |
| विश्वविद्यालय के अर्थात् :- प्राधिकारी           | 8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे;<br>(एक) शासी परिषद्;<br>(दो) कार्य परिषद्;<br>(तीन) विद्या परिषद्;<br>(चार) वित्त समिति; और<br>(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विहित किये जायें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शासी परिषद् निम्नलिखित                           | 9. शासी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य परामर्शी निकाय होगा, जिसमें सदस्य होंगे; अर्थात् :-<br>(एक) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे;<br>(दो) विश्वविद्यालय के कुलपति;<br>(तीन) विधि मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार अथवा यदि मुख्यमंत्री स्वयं विधि मंत्री भी हैं तो द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री;<br>(चार) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश;<br>(पाँच) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड विधान सभा के दो जिनमें से एक सत्ता पक्ष तथा एक विपक्ष का होगा;<br>(छः) उत्तराखण्ड के महाधिवक्ता;<br>(सात) भारत की बार काउंसिल के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति;<br>(आठ) उत्तराखण्ड बार काउंसिल के अध्यक्ष;<br>(नौ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा आयोग के सदस्यों में नामित व्यक्ति;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उनके सदस्य,                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| से                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |     | <p>(दस) दो प्रख्यात अधिवक्ता, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;</p> <p>(ग्यारह) दो प्रख्यात अधिवक्ता, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;</p> <p>(बारह) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;</p> <p>(तेरह) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;</p> <p>(चौदह) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;</p> <p>(पन्द्रह) महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय;</p> <p>(सोलह) कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति;</p> <p>(सत्रह) कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा व्यक्ति;</p> <p>(अठारह) निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी;</p> <p>(उन्नीस) निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी;</p> <p>(बीस) कुलाधिपति द्वारा नामित उत्तराखण्ड के दो जिला न्यायाधीश, जिनका न्यायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र का व्यापक अनुभव हो तथा जो नैनीताल के जिला न्यायाधीश न हो।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नामित           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शिक्षा तथा      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| हो।             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शासी परिषद् के  | 10. | (1) शासी परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अधीन हुए, तीन वर्ष होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| होते सदस्यों की |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पदावधि          |     | <p>(2) जब कोई व्यक्ति शासी परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर लिया जाय तो वह यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नाम निर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा वापस ले लिया जाय, ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।</p> <p>(3) शासी परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाये या ऐसे दाण्डिक अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्बलित हो, के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाय या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कुलाधिपति से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना शासी परिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करें।</p> <p>(4) शासी परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जायेगा।</p> <p>(5) शासी परिषद् में, ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नाम निर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, कोई रिक्ति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम निर्देशन द्वारा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि नियुक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता।</p> |
| शासी परिषद् की  | 11. | शासी परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात् :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| शक्तियाँ        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नाम             |     | <p>(एक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को कुलपति के की सिफारिश करना;</p> <p>(दो) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 5 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कृत्यों और शक्तियों, ऐसी शक्तियों को छोड़ कर, जहाँ वे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों, का प्रयोग करना;</p> <p>(तीन) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए उपाय करना;</p> <p>(चार) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाकारों और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना, जैसा उचित समझा जाय।</p> <p>(पाँच) अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति को या किसी समिति को या किसी उप-समिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- (छः) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के प्रभावशाली क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझें।
- शासी परिषद् के लिए अधिवेशन 12. (1) शासी परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और इसके अधिवेशन के कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना प्रदान की जायेगी।
- (2) कुलाधिपति शासी परिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
- (3) शासी परिषद् की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।
- (4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि शासी परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो कुलाधिपति या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत देगा।
- (5) यदि शासी परिषद् द्वारा आत्यायिक स्वरूप का कार्य आवश्यक हो जाय, तो कुलाधिपति शासी परिषद् के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाय। इस प्रकार की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में शासी परिषद् के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और कागज-पत्रों को शासी परिषद् के आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जायेगा।
- (6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन कुलपति द्वारा शासी परिषद् के समक्ष उसकी वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे।
- कार्य परिषद् 13. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।
- (2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबन्ध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य परिषद् में निहित होगी, जो विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों पर नियंत्रण और प्रशासन रखेगी।
- कार्य परिषद् का गठन 14. (1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-
- (एक) कुलपति;
- (दो) शासी परिषद् के पाँच सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (तीन) उत्तराखण्ड बार काउंसिल के अध्यक्ष;
- (चार) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;
- (पाँच) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;
- (छः) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;
- (सात) महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय;
- (आठ) निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल;
- (नौ) विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक वरिष्ठ आचार्य।
- (2) कुलपति कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा।
- कार्य परिषद् की हो, पदावधि हो 15. (1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद् का सदस्य वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त जायेगी।
- (2) कार्य परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्याग पत्र दे दें या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया जाय या कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय या कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद् के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।
- (3) जब तक उपर्युक्त उपधाराओं के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद् की उनकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद् के सदस्य स्वयं द्वारा

कार्य परिषद् का सदस्य बनने के दिनोंक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर

देंगे, परन्तु वे, यथास्थिति, पुनः नाम निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र रहेंगे।

- (4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग पत्र कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करते ही प्रभावी हो जायेगा।
- (5) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति ऐसे प्राधिकरण से सम्बन्धित व्यक्ति, जो नियुक्ति या नाम निर्देशन करने का हकदार हो, द्वारा यथास्थिति, या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम निर्देशन द्वारा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगा।

कार्य परिषद् की शक्तियाँ शक्तियाँ और कृत्य 16.

धारा 11 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद् की निम्नलिखित और कृत्य होंगे; अर्थात् :-

- (एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे सम्बन्धित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्तव्यों को अवधारित करना;
- (दो) समय-समय पर नियुक्ति के लिए धारा 24 के अधीन उस रीति से गठित, जैसी विहित की जाय चयन समिति की सिफारिश पर आचार्य, उपाचार्य/ सहायक आचार्य, प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष अध्यापन कर्मचारिवृन्द के ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना जो आवश्यक हो;
- (तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारण करना;
- (चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिवेश, सम्पत्ति, करोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना;
- (पाँच) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अन्तर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर सम्पत्ति के क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिवेश में परिवर्तन में परिवर्तन करना;
- (छः) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना :

परन्तु यह कि कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जायेगी।

- (सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;
- (आठ) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;
- (नौ) विश्वविद्यालय से अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश असंतुष्ट अनुभव करें, कि किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और उन्हें दूर करना;
- (दस) विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;
- (ग्यारह) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;
- (बारह) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर ऐसे विनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित अथवा

विखण्डित करना;

(तेरह) अपनी सभी अथवा किन्हीं शक्तियों को, विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना; और (चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

कार्य परिषद् की बैठकें  
15

17. (1) कार्य परिषद् छः माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक के लिए दिन से अन्यून की नोटिस दी जायेगी।
- (2) कार्य परिषद् का अध्यक्ष (चैयरमेन) कार्य परिषद् के बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।
- (3) कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई से उसकी किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।
- (4) कार्य परिषद् का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो यथास्थिति, कार्यपरिषद् का अध्यक्ष (चैयरमेन) या उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

कार्य परिषद् द्वारा  
हुए स्थायी समिति का  
कार्य गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति  
विश्वविद्यालय के किसी कृत्य के निर्वहन  
मामले में जाँच, उस पर रिपोर्ट या सलाह  
का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति

18. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई विनियमावली के अधीन रहते कार्य परिषद् संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी परिषद् किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या के लिए या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी देने के लिए ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों कर सकती है।
- (2) कार्य परिषद् किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिए ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है और उन्हें कार्य परिषद् के अधिवेशनों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।

विद्या परिषद्

19. विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसे कि उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा।

विद्या परिषद् का गठन

20. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-
- (एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;
- (दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, अध्यक्ष शासी परिषद् के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
- (तीन) उत्तराखण्ड सरकार के न्याय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर सचिव से निम्न स्तर का न हो;
- (चार) उत्तराखण्ड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/ सचिव या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर सचिव से निम्न स्तर का न हो;
- (पाँच) महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय;
- (छः) निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी;
- (सात) उत्तराखण्ड बार काँसिल का एक नाम निर्देशिती;
- (आठ) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;
- (नौ) विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य, यदि कोई हों;
- (दस) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य विश्वविद्यालय के उप-आचार्य और प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व करेगा।
- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

- (3) जहाँ कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण से विद्या परिषद् का सदस्य हो, वहाँ उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब वह उस पद या नियुक्ति पर न रह जाय।
- (4) विद्या परिषद् का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्याग पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाये या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद् के अध्यक्ष (चैयरमेन) की छुट्टी के बिना विद्या परिषद् के तीन लगातार अधिवेशनों में सम्मिलित होने में विफल रहे।
- (5) जब तक विद्या परिषद् की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद् के सदस्य उस दिनांक से जिस पर वे विद्या परिषद् के सदस्य होते हैं, तीन वर्ष के अवसान पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, किन्तु यथास्थिति पुनः नाम-निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद् का कोई सदस्य विद्या परिषद् के अध्यक्ष (चैयर परसन) को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र विद्या परिषद् के अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार करते ही त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।
- (7) विद्या परिषद् में कोई रिक्ति, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिए, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

विद्या परिषद् की  
उसमें शक्तियाँ और कर्तव्य  
:-

21. इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् को निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात्

- (एक) शासी परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;
- (दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;
- (तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनायें निश्चित करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद् को किसी संकाय के समापन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट करना;
- (चार) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अनुसंधान का संवर्द्धन करना और ऐसे अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;
- (पांच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
- (छः) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना और समितियाँ नियुक्त करना;
- (सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय की डिप्लोमा और उपाधि के सम्बन्ध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;
- (आठ) शासी परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन होते हुए अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियाँ और अन्य पारितोषिकों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;
- (नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियाँ और यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सिफारिश करना;
- (दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उनके लिए तिथि नियत करना;
- (ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिदान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के सम्बन्ध में सिफारिश करना;
- (बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) विहित या सिफारिश की गयी पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्ट्रों को तैयार करना जो विनियमों द्वारा समय-समय पर विहित किये जाते हैं; और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना, जो इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

विद्या परिषद् के  
किन्तु अधिवेशन

22. (1) विद्या परिषद् किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार, जितनी बार आवश्यक हो, अन्यून दो बार अधिवेशन करेगी।
- (2) विद्या परिषद् का अध्यक्ष विद्या परिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

वित्त समिति  
:—

23. (1) विश्वविद्यालय की एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात्

(एक) कुलपति;

(दो) शासी परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट एक सदस्य;

(चार) उत्तराखण्ड के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर सचिव की श्रेणी से निम्न स्तर का न हो;

(पाँच) उत्तराखण्ड के न्याय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो अपर सचिव की श्रेणी से निम्न स्तर का न हो;

(छ:) उत्तराखण्ड के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो अपर सचिव की श्रेणी से निम्न स्तर का न हो;

(सात) विश्वविद्यालय के कुल सचिव;

(आठ) वित्त अधिकारी—सदस्य सचिव।

- (2) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

- (3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य होंगे; अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद् को वित्तीय मामलों की सिफारिशें करना;

(दो) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(तीन) कार्य परिषद् को सिफारिशें करने के लिए सर्वाधिक लेखा विवरणों पर विचार पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा पर या कार्य परिषद् या कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्य परिषद् को अपना विचार देना और सिफारिश करना;

(4) वित्त समिति छः माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी। वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) कुलपति वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे।

चयन समिति  
के

24. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति लिए कार्य परिषद् को सिफारिशें करने के लिए चयन समिति का गठन करेगी।

- (2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष (चेयर परसन) होगा;

(ख) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, जो ऐसे पद जिसके लिए चयन किया जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;

(ग) (एक) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये और कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ;

(दो) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से सम्बन्धित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो वहाँ कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।

(3) जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा पद स्थापित किये जाने के लिए किसी दाता के विन्यास प्राप्त किया जाय वहाँ उस पद को भरे जाने के प्रयोजन से दाता को चयन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के  
अर्थात् :- अधिकारी

25. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे;

(एक) कुलपति;

(दो) विभागाध्यक्ष;

(तीन) कुलसचिव;

(चार) वित्त अधिकारी;

(पाँच) ऐसे अन्य अधिकारी, जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलपति  
बाध्यकारी

26. (1) विश्वविद्यालय का कुलपति, कुलाधिपति की सिफारिश पर, जो राज्य सरकार पर होगी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुलाधिपति समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् :-

(क) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ख) शासी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति।

(3) उपधारा (4) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनोंक से यथाशक्य कम से कम छः माह पूर्व और जब कभी भी शासी परिषद् द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसे दिनोंक से पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समिति शासी परिषद् को कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति शासी परिषद् को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी। शासी परिषद् इन नामों की कुलाधिपति से सिफारिश करेगी। शासी परिषद् कुलाधिपति को विचार करने के लिए कुछ अन्य नामों को भी उनकी अकादमिक योग्यताओं तथा अन्य विशेषताओं के साथ अग्रेषित कर सकेगी।

(4) कुलपति, जिनका विधि, न्याय तथा अकादमी के क्षेत्र में व्यापक अनुभव हो या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों अथवा जो एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि का आचार्य रह चुके हों, अपने पद ग्रहण के दिनोंक से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं, जो भी पहले हो, पद धारण कर सकेंगे :

परन्तु यह कि शासी परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग कर सकेगा और शासी परिषद् द्वारा ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुलपति की परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(6) यदि कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुल सचिव द्वारा शासी परिषद् के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो

शासी परिषद् का अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर छः माह की अनधिक अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है।

(7) यदि शासी परिषद् की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि शासी परिषद् को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो शासी परिषद् ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जिसे अधिमानतः छः माह के भीतर पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कुलपति को हटाने हेतु कुलाधिपति को सिफारिश कर सकेगी, जो इस सिफारिश को राज्य सरकार को अग्रतः कार्यवाही हेतु अग्रसारित करेंगे।

(8) उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए शासी परिषद् यह आदेश दे सकती है कि अग्रतः आदेशों तक :-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (5) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(9) कुलपति :-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों का समुचित पालन कर लिया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियाँ होंगी;

(ख) कार्य परिषद् के विनिर्दिष्ट और सामान्य निर्देशों के अधीन कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद् की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ग) शासी परिषद्, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् के अधिवेशनों को बुलायेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए निमित्त आवश्यक हो;

(घ) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से सम्बन्धित समस्त शक्तियाँ होंगी।

(10) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिए तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण को, जिसने सामान्य स्थिति में मामले में कार्यवाही की होती, अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए सूचित होगा।

विभागाध्यक्षगण

27. (1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए विभागाध्यक्ष होगा।

(2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वही होंगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय।

कुल सचिव  
सरकार  
वह

28. (1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य द्वारा कुलपति के परामर्श से सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों में से की जा सकेगी। उतनी अवधि के लिए किसी सरकारी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है, जितनी कुलपति उचित समझे।

(2) कुल सचिव, कार्य परिषद् विद्या परिषद् और संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

(3) कुल सचिव :-

(एक) कार्य परिषद् और कुलपति के सभी निर्देशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(दो) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा, जिन्हें कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सुपुर्द करें;

(तीन) कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य समिति और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति का अधिवेशन बुलाने वाली समस्त नोटिसें जारी करेगा;

(चार) कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखेगा;

(पाँच) कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(छ:) विश्वविद्यालय के अधिवेशनों की कार्य सूची, जैसे ही वे जारी की जाती है और प्राधिकरणों के अधिवेशनों के कार्यवृत्त की प्रतियाँ अधिवेशन के आयोजन के एक माह के भीतर कुलाधिपति को भेजेगा;

(सात) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कुलपति न सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद् का तत्काल अधिवेशन बुलाएगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए उसके निर्देश लेगा;

(आठ) कुलपति के निर्देशों के अन्तर्गत तथा इस प्रकार के अभिवचनों अथवा उनके सत्यापन तथा प्रक्रमों के प्रचालन इत्यादि जैसा कि धारा 3 की उपधारा (3) में निर्देशित है, इस आधार पर यह प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जायेगा कि कुलपति ने ऐसा करने के लिए कुल सचिव को अधिकृत नहीं किया है।

(नौ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा;

(दस) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा, जैसा कि कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर समनुदेशित किया जाय।

(4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे।

वित्त अधिकारी

29. (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) वित्त अधिकारी :-

(क) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा-विवरण प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा।

(ख) मतदान को छोड़कर, कार्य परिषद् के वित्त के मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा और उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत नहीं किया जाता है;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करेगा, जो इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(छ) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणा से या अपेक्षा किये जाने पर अपने परामर्श के आधार पर परामर्श देगा;

(झ) विश्वविद्यालय के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखों का अनुरक्षण करेगा;

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों की पंजियाँ अद्यतन अनुरक्षित रखी जाती हैं और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जाँच, विश्वविद्यालय में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;

- (ठ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें।
- (3) किसी कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों, जैसा कि कुलपति उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
- अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपवर्णित और
30. (1) इस प्रयोजन के लिए बनाये गये विनियमों के अध्याधीन विश्वविद्यालय के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, विनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शर्तों को करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय को सौंपी जायेगी इसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को प्रस्तुत की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय द्वारा एकल व्यक्ति अधिकरण जिसे शिक्षा अधिकरण के नाम से जाना जायेगा, जैसा राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के टी0एम0ए0 पई फाउंडेशन प्रति कनार्टक राज्य ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 355, में निर्देशों के अनुपालन में अधिसूचित किया है, को संदर्भित किया जायेगा।
- विनियम बनाने की सकती शक्तियाँ
31. (1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना है :

परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी विनियम को तब तक नहीं बनायेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप से राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाये और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा:

परन्तु यह और कि विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना कार्य परिषद् निम्नलिखित में से किसी एक या सभी विषयों को प्रभावित करने वाले किसी विनियम का निर्माण, संशोधन या निरसन नहीं करेगी; अर्थात्:-

- (एक) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (दो) विश्वविद्यालय सम्बन्धी पाठ्यक्रमों और सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अध्यापन संचालित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी;
- (तीन) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;
- (चार) संकायों, विभागों, हालों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;
- (पाँच) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना;
- (छ:) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति या परीक्षाओं या अध्ययन के किसी अन्य पाठ्यक्रम का संचालन या उसका स्तर;
- (सात) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की रीति;
- (आठ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाएँ;
- (2) विद्या परिषद् को उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (आठ) में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों पर विनियम, प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।
- (3) जहाँ कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहाँ विद्या परिषद् कुलाधिपति, को अपील कर सकती है और कुलाधिपति, के आदेश द्वारा निर्देश देगा कि प्रस्तावित विनियम को अनुमोदन के लिए शासी परिषद् के अगले अधिवेशन में रखा जायेगा तथा शासी परिषद् के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक यह ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा, जैसा कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय :

परन्तु यह कि यदि विनियम का अनुमोदन शासी परिषद् द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं रह जायेगा।

- (4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त विनियम शासी परिषद् के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और शासी परिषद् को कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये किसी विनियम को संशोधित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी।
- पुनर्विलोकन आयोग  
सिफारिशों की नियुक्ति
32. (1) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिए और करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष से कम से कम एक बार आयोग का गठन करेगा।
- (2) आयोग में विधिक क्षेत्र में प्रख्यात तीन अन्यून शिक्षाविद् होंगे जिसमें से एक, राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त, ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।
- (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें वही होंगी, जैसी कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जायें।
- (4) आयोग ऐसी जाँच, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् कुलाधिपति को अपनी सिफारिश करेगा।
- (5) कुलाधिपति आयोग की सिफारिशों पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
- विश्वविद्यालय की  
अर्थात् :- निधि
33. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे;
- (एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;
- (तीन) राज्य बार काउंसिल द्वारा दिया गया कोई अंशदान;
- (चार) निजी व्यक्तियों या संस्था द्वारा दी गयी कोई वसीयत; दान, विन्यास या अन्य अनुदान;
- (पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा फीस और प्रभारों से प्राप्त आय; और
- (छः) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि, किन्तु उसमें किसी अभिकरण से प्राप्त कोई निधियां सम्मिलित नहीं होंगी।
- (2) विश्वविद्यालय की निधि की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी।
- (3) विश्वविद्यालय की निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति से किया जा सकता है, जैसा विहित किया जाए।
- वार्षिक लेखा और  
तैयार संपरीक्षा
34. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन किया जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय की लेखा सम्परीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, कुलपति, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करें, की जायेगी।
- (3) लेखों का, जब सम्परीक्षा हो जाय, प्रकाशन कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखों की एक प्रति शासी परिषद् के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा।
- (4) शासी परिषद् द्वारा उसके वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक लेखों पर विचार किया जायेगा। शासी परिषद् उससे सम्बन्धित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद् को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद् शासी परिषद् द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद् शासी परिषद् को उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा कृत समस्त कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।
- वित्तीय प्राक्कलन  
आगामी  
रखेगी।
35. (1) कार्य परिषद्, ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय, वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे शासी परिषद् के समक्ष रखेगी।
- (2) कार्य परिषद्, ऐसे मामले में जहाँ बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में व्यय उपगत किया जाना हो तो यह लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों

से आत्ययिकता के मामलों में, विनियमों में विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये व्यय उपगत कर सकती है, जहाँ ऐसे आधिक्य व्यय के सम्बन्ध में बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहां शासी परिषद् के उसके अगले अधिवेशन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

- अधिभार हानि, 36. (1) धारा 25 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की दुर्य्य या दुरुपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्य्य या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या उवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।  
(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्य्य या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।
- संविदाओं का निष्पादन की 37. विश्वविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदाएं ऐसे अभिव्यक्त जायेगी, जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा करायी गयी हो और उनका निष्पादन कुलपति सहमति से कुल सचिव द्वारा किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक विधि, उपाधि, डिप्लोमा आदि का प्रदान किया जाना 38. विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन विधि उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विशिष्टताएं और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।
- मानद उपाधि किसी 39. यदि किसी स्थिति में विद्या परिषद् के दो-तिहाई सदस्य सिफारिश करते हैं कि व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात व्यक्तित्व के कारण से ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी राय में उपयुक्त और उचित है, कोई मानद उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो शासी परिषद् किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे सिफारिश किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।
- उपाधि या डिप्लोमा बहुमत द्वारा का प्रत्याहरण अन्यून प्रदान है, यदि गया हो, अवचार का 40. (1) शासी परिषद् कार्य परिषद् की सिफारिश पर शासी परिषद् के कुल सदस्यों के और अधिवेशन में उपस्थित और मत देने वाले शासी परिषद् के दो तिहाई से सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या की गयी किसी विशिष्टता, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकारी को वापस ले सकती ऐसी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जिसमें शासी परिषद् की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गस्त हो या यदि वह घोर दोषी रहा हो।  
(2) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए।  
(3) शासी परिषद् द्वारा पारित संकल्प की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जाएगी।  
(4) शासी परिषद् द्वारा किये गये विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिनोंक से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकता है।  
(5) ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- सम्पत्ति का अन्तरण जैसा द्वारा को 41. राज्य सरकार विश्वविद्यालय को ऐसी शर्तों पर ऐसी सीमाओं के अधधीन रहते हुए, कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उचित समझे; विश्वविद्यालय उपयोग और प्रबन्ध के लिए भवनों, भूमि और जंगम या स्थावर किसी अन्य सम्पत्ति अन्तरित कर सकती है।
- अनुशासन 42. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और विश्वविद्यालय की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा।  
(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर विचार और अधिरोपण, कुलपति की रिपोर्ट पर कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा :  
परन्तु यह कि ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को उसके विरुद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने या युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

43.

इस अधिनियम और विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी जब कभी किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की वाली किसी योजना को प्रयोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियां प्राप्त करें

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, निधि से पृथक रूप से विश्वविद्यालय द्वारा रखी जायेगी और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग की जायेगी; और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी वर्ग की भर्ती प्रयोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबन्धन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।

### रिक्तियों के कारण

44.

विश्वविद्यालय का प्राधिकारियों अथवा

(1) इस बात के होते हुए भी कि शासी परिषद्, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या अथवा कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक् रूप से गठित नहीं है या

किसी समय उसके निकाय की कार्यवाहियों का

गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, समिति या

अविधिमान्य न होना

निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इन कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी कि:

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या

(ग) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी व्यक्ति पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर यदि ऐसी

अनियमितता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव न पडा हो।

कठिनाइयों का  
के निवारण  
को

45.

यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण प्रथम अधिवेशन के सम्बन्ध में या अन्यथा इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन किये जाने के पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकती है, या जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों से कोई कार्य कर सकती है जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या इस अधिनियम और विनियमावली में उपबंधित रीति से की गयी हो :

संगत  
या

कार्यवाही

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति और ऐसे समुचित प्राधिकरण, जैसा गठित किया गया हो, कि इस निमित्त रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, का अभिनिश्चय करेगा और उस पर विचार करेगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के दिनांक से दो वर्षों से पश्चात् कोई आदेश नहीं किया जायेगा :

परन्तु अग्रत्तर यह और कि प्रत्येक ऐसा आदेश राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

संक्रमण कालीन भी, उपबन्ध के प्रयोजन से प्रयोजन के सकता इस प्राधिकरण है।

46.

इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए कुलपति, शासी परिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता अधीन होते हुए इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का पालन करने के विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर है, जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक अधिनियम और तदधीन बनायी गई विनियमों द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा इस अधिनियम या विनियमों द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता

क्षतिपूर्ति  
के  
सम्बन्ध

47.

कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ, विश्वविद्यालय, कुलपति विश्वविद्यालय प्राधिकरणों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी बात के नहीं की जायेगी, और कोई क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जायेगा, जो इस

|                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधिनियम                               | या तदधीन बनाये गये किसी विनियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी हो या किया जाना तात्पर्यित हो।                                                                                                                         |
| अधिनियम का किसी अध्यारोही प्रभाव किसी | 48. इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये किसी विनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रवृत्त होने वाले लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए, प्रभावी होंगे। |
| निरसन एवं जाता है। अपवाद              | 49. (1) उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2010 एतद्वारा निरसित किया                                                                                                                                       |
| इस                                    | (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।                                                                                     |

## THE NATIONAL LAW UNIVERSITY OF UTTARAKHAND ACT, 2011

[UTTARAKHAND ACT NO. 11 OF 2011]

AN

ACT

to establish and incorporate a National Law University at Bhowali, Nainital in Uttarakhand and to provide for matters connected therewith or incidental thereto

IT IS HEREBY enacted by State Legislature in the Sixty-second years of the Republic of India as follows:

**Short title and 1. commencement** (1) This Act may be called the National Law University of Uttarakhand Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette appoint.

**Definitions 2.** In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i)“**Academic Council**” means the Academic Council of the University;

(ii)“**Bar Council**” means the State Bar Council of Uttarakhand;

(iii)“**Chancellor**” means the Chancellor of the University;

(iv)“**Executive Council**” means the Executive Council of the University;

(v)“**Governing Council**” means the Governing Council of the University;

(vi)“**Prescribed**” means prescribed by Regulations;

(vii)“**Registrar**” means the Registrar of the University;

(viii)“**Regulations**” means the Regulations of the University;

(ix)“**State Government**” means the Government of Uttarakhand;

(x)“**University**” means the National Law University of Uttarakhand;

(xi)“**Vice Chancellor**” means the Vice Chancellor of the University.

**Establishment 3. and Incorpora- of National of Law University of Uttarakhand** (1) With effect from such date as the State Government may by notification in official Gazette appoint, there shall be established, in the State of Uttarakhand an university by the name of the National Law University Uttarakhand.

(2) The University shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire hold and dispose property both movable and immovable and to contract and shall by the said name, sue and be sued.

(3) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar with the concurrence of Vice Chancellor and all processes in such suits and proceedings shall be issued to, and served on, the Vice Chancellor.

(4) [The Headquarters of the University shall be at such place as may be specified by the State Government.]

-----  
 ---  
 1-Subs. by section 2 of Uttarakhand Act no 18 of 2018.

**Objects of the 4. University**

The objects of the University shall be as follows; namely-

- (a) to advance and disseminate learning and knowledge of law, legal procedures and processes and law's role in national development;
- (b) to develop in the students and research scholars a sense of responsibility to serve society by developing skills in advocacy, judicial, other legal services, legislation, judicial reforms and the like;
- (c) to organise lectures, workshops, seminars, symposia, conclave, colloquium and conferences etc., to promote legal knowledge and to make law and legal processes effective instrument of social change;
- (d) to hold examinations, confer degrees and other academic distinctions; and
- (e) to do all such things as are connected with or incidental to the attainment of all or any of the objects of the University.

**Powers and 5. functions of the University**  
 namely- functions of the University for research, the University of the objects of

The powers and functions of the University shall be as follows;

- (i) to administer and manage the University and such centre education and instruction as are necessary in furtherance the University;
- (ii) to provide for instructions in such branches of knowledge of learning pertaining to law, as the University may deem fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of law;
- (iii) to sponsor and undertake research in all aspects of law & justice with thrust upon legal and judicial reforms;
- (iv) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to the University as regards any programme;
- (v) to hold examinations, grant diplomas or certificates, confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degree or other academic distinctions for good and sufficient cause.
- (vi) to confer honorary degrees or other distinctions in such manner as may be prescribed;
- (vii) to fix, demand and receive fees and other charges;
- (viii) to establish and maintain halls along with hostels and to recognize places for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;
- (ix) to establish such special centres, specialised study centres or other units for research and instruction as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects.
- (x) to supervise and control the residence, to regulate the discipline among the students of the University and to make arrangements for promoting their health;
- (xi) to make arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of women students;

- (xii)**to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts with the prior approval of the State Government;
- (xiii)**to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;
- (xiv)**to create posts required by the University with the prior approval of the State Government;
- (xv)** to appoint persons as professors, readers, lecturers or otherwise as teachers and research scholars of the University;
- (xvi)** to institute and award fellowships, scholarship, prizes and medals;
- (xvii)**to provide for printing and publication of research papers and brochures;
- (xviii)**to co-ordinate with any other organization in the matter of education, training and research in law, justice and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may deem fit.
- (xix)**to co-ordinate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, by exchange of academicians, scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;
- (xx)** to regulate the expenditure and to manage the accounts of the University.
- (xxi)**to establish, maintain and furnish within the premises of the University or elsewhere, such class rooms, study halls, libraries and reading rooms as the University may consider necessary.
- (xxii)**to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objects for which the University is established;
- (xxiii)**to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University, on such terms and conditions as it may think fit and proper, and to construct, alter or maintain any such building or works;
- (xxiv)**to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may deem fit without prejudice to the interest and activities of the University:

Provided that where the properties have been created with financial assistance of the State or the Central Government prior approval of the State Government shall be necessary;

- (xxv)** to draw and accept, to make and endorse to discount and negotiate, Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;
- (xxvi)**to execute conveyances, transfers, re-conveyances, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University;
- (xxvii)**to appoint in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as it may deem fit;

(xxviii) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;

(xxix) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities, funded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay out of the funds of the University all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed;

(xxx) to invest the funds of the University or fund entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;

(xxxi) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the regulations, such as pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the University and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University;

(xxxii) to do all such other acts as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainments of enlargements of all or any of its objectives.

(xxxiii) to make such regulations as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and to rescind them;

(xxxiv) to delegate all or any of its powers to the Vice Chancellor of the University or any committee or any sub-committee or to any one or more members of its body or its officers;

**Teaching in  
University  
the  
with**

6. (1) All recognised teaching in connection with the degrees, diplomas and the certificates of the University shall be conducted under the control of Governing Council by the teachers of the University in accordance such syllabus as may be prescribed.

(2) The courses, curricula and the authorities responsible for organising such teaching shall be such as may be prescribed.

**Chancellor  
and Visitor of  
of the University**

7. (1) The Chief Justice of India shall be the Visitor of the University.

(2) The Chief Justice of High Court of Uttarakhand shall be the Chancellor the University.

(3) The Visitor or Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipments and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(4) The Visitor or Chancellor shall in every case give notice to the University of his intention of cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

- (5) The Visitor or Chancellor may address the Vice Chancellor with reference to the result of such inspection of inquiry and the Vice Chancellor shall communicate to the Governing Council the views of the Visitor or Chancellor along with such advice as the Visitor or Chancellor may have offered on the action to be taken thereon.
- (6) The Governing Council shall communicate through the Vice Chancellor to the Visitor or Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken on the result of such inspection or inquiry.
- Authorities of the University** 8. The following shall be the authorities of the University;
- (i) the Governing Council;
  - (ii) the Executive Council;
  - (iii) the Academic Council;
  - (iv) the Finance Committee; and
  - (v) such other authorities as may be prescribed.
- Governing University Council** 9. The Governing Council shall be the chief advisory body of the
- which shall consist of the following; namely :-
- (i) the Chancellor of the University, who shall be the Chairman thereof;
  - (ii) Vice Chancellor of the University;
  - (iii) Law Minister of Uttarakhand or if the Chief Minister himself is also the Law Minister, then any other Minister nominated by him;
  - (iv) Two Judges from among the Judges of the High Court of the Uttarakhand nominated by the Chancellor;
  - (v) Two members of the Uttarakhand Legislative Assembly, one of whom from the ruling party and another from the opposition, to be nominated by the Speaker of the State Legislative Assembly;
  - (vi) Advocate General of Uttarakhand;
  - (vii) Chairman of the Bar Council of India or his nominee;
  - (viii) Chairman of the Bar Council of Uttarakhand;
  - (ix) Chairperson of the University Grants Commission or his nominee from among the members of UGC;
  - (x) Two distinguished lawyers to be nominated by the Visitor;
  - (xi) Two distinguished lawyers to be nominated by the Chancellor;
  - (xii) The Principal Secretary/ Secretary of Judicial Department, Government of Uttarakhand;
  - (xiii) The Principal Secretary/ Secretary of Finance Department, Government of Uttarakhand;
  - (xiv) The Principal Secretary/ Secretary of Higher Education Department, Government of Uttarakhand;
  - (xv) Registrar General of High Court of Uttarakhand;
  - (xvi) Vice-Chancellor of Kumaon University or his nominee;
  - (xvii) Vice Chancellor of Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University or his nominee;

(xviii) Director of Uttarakhand Judicial and Legal Academy;

(xix) Director of Uttarakhand Academy of Administration;

(xx) Two District Judges of Uttarakhand having wide experience in the field of

judicial education and training, not being the District Judge of Nainital, to be nominated by the Chancellor.

**Term of Office**      **10.**  
**Council of members of**  
**the Governing**  
**Council**

(1) The term of the office of the nominated members of the Governing Council shall subject to sub-section (2) and (3) be three years.

(2) When a person is nominated as a member of the Governing Council, he shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person as the case may be.

(3) A member of the Governing Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice Chancellor accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Governing Council without the leave granted by the Chancellor or acts against the interests of the University.

(4) A member of Governing Council may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chancellor.

(5) Any vacancy in the Governing Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so appointed or nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could hold office if the vacancy had not occurred.

**Powers of the**      **11.**  
**Governing**  
**Council**

The Governing Council shall have the following powers; namely-

(i) to recommend the name of the Vice Chancellor to the Chancellor of the University under the provisions of this Act;

(ii) to exercise the powers and functions of the University referred to in section 5 except where such powers are given to some other authority or officer of the University under the provisions of this Act;

(iii) to review from time to time the broad policies and programmes of the University and to take measures for the welfare of the University;

(iv) to consider and pass resolutions as considered fit on the annual report, financial estimates, annual accounts and the audit reports on such accounts;

(v) to delegate all or any of its powers to the Vice Chancellor or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members; and

(vi) to perform such other functions as it may deem necessary for the effective functioning and administration of the University.

**Meetings of**      **12.**  
**fifteen the Governing**  
**Council**

(1) The Governing Council shall meet at least once in a year and at least fifteen days' notice shall be given for its meetings.

(2) The Chancellor shall preside over the meeting of the Governing Council

over and in his absence; any member duly authorized by him shall preside the meeting.

(3) One third of the total number of members of the Governing Council shall form a quorum for a meeting.

(4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Governing Council, the Chancellor or the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the Governing Council becomes necessary, the Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Governing Council. The action proposed to be taken shall not be carried out unless agreed to by one-third of the total members of the Governing Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Governing Council and the papers shall be placed before the next meeting of the Governing Council for confirmation.

(6) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimate shall be presented by the Vice Chancellor to the Governing Council at its annual meeting.

**The Executive  
University.  
Council**

13. (1) The Executive Council shall be the Chief Executive body of the

(2) The administration, management and control of the University and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.

**Constitution of  
namely :- the Executive Council**

14. (1) The Executive Council shall consist of the following;

(i) the Vice Chancellor;

(ii) Five members of the Governing Council to be nominated by the Chancellor;

(iii) The Chairman of the Bar Council of Uttarakhand;

(iv) The Principal Secretary/ Secretary of Judicial Department, Government of Uttarakhand;

(v) The Principal Secretary/ Secretary of Finance Department, Government of Uttarakhand;

(vi) The Principal Secretary/ Secretary of Higher Education Department, Government of Uttarakhand;

(vii) Registrar General, High Court of Uttarakhand;

(viii) Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy;

(ix) Two whole time Senior Professors of the University.

(2) The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Executive Council.

**Term of office  
reason of Executive  
terminate when Council**

15. (1) Where a person has become a member of the Executive Council by of the office or appointment he holds, his membership shall he ceases to hold that office or appointment.

(2) A member of the Executive Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if member other than the Vice Chancellor or a member of a faculty accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three

consecutive meetings of the Executive Council without the leave granted by the Chairman of the

Executive Council or acts against the interests of the University.

(3) Members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council, unless the membership of the Executive Council is previously terminated as provided in the above sub-section but shall be eligible for re-nomination or re-appointment, as the case may be.

(4) A member of the Executive Council other than *ex-officio* member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairman of the Executive Council.

(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by the respective authority entitled to make the same and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

**Powers and Council functions of the Executive**

**16.**

Without prejudice to the provisions of section 11, the Executive shall have the following powers and functions; namely-

(i) to create academic posts in the University and to determine the **Council** qualifications, emoluments and duties attached thereto with the prior approval of the State Government after considering the recommendations of the Academic Council;

(ii) to appoint from time to time, Professors, Readers, Lecturers, other members of the teaching staff, the Librarian and such other members of the teaching staff as may be necessary on the recommendations of the Selection Committee constituted under section 24 as may be prescribed for the purpose;

(iii) to create administrative, ministerial and other posts, to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts with the prior approval of the State Government;

(iv) to manage and regulate the finances, accounts investments, property, business and all other administrative affairs of the University;

(v) to invest any money belonging to the University including any unapplied income, in such stock funds, shares or securities, as it may, from time to time, deem fit;

(vi) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University;

Provided that no immovable property shall be transferred to the third party without the prior approval of the State Government;

(vii) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit;

(viii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(ix) to entertain, adjudicate and to redress any grievances of the aggrieved officers, teachers, students and employees of the University;

- (x) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;
- (xi) to select a common seal for the University and to provide for the custody of the seal;
- (xii) to make such regulations as may, from time to time be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify or rescind them;
- (xiii) to delegate all or any of its powers, except the powers to make regulations, to any Officer or Authority and ;
- (xiv) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be prescribed by or under this Act.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Meetings of the Executive Council</b></p> <p>the<br/>elect a</p>                                                                                                                                                                                          | <p><b>17.</b></p> <p>(1) The Executive Council shall meet at least once in six months and not less than fifteen days notice shall be given for such meeting.</p> <p>(2) The Chairman of the Executive Council shall preside over a meeting of Executive Council, and in his absence the member's presents shall person from amongst themselves to preside over the meeting.</p> <p>(3) One-third of the total members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting thereof.</p> <p>(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Constitution of Standing Committee and such appointment of power or <i>adhoc</i> reporting committees by the Executive Council.</b></p> <p>attend the</p> <p><b>Academic and Council</b></p> <p>power<br/>maintenance<br/>University<br/>may<br/>have</p> | <p><b>18.</b></p> <p>(1) Subject to the provisions of this Act or the regulations made in this the Executive Council may by resolution, constitute such standing committees or appoint <i>adhoc</i> committees for such purposes and with powers as the Executive Council may think fit for exercising any discharging any function of the University or for enquiring into, or advising upon any matter relating to the University.</p> <p>(2) The Executive Council may co-opt persons to a standing committee or an <i>adhoc</i> committee as it considers suitable and may permit them to meetings of the Executive Council.</p> <p><b>19.</b></p> <p>The Academic Council shall be the academic body of the University shall, subject to the provisions of this Act and the regulations, have of control and general regulation of, and be responsible for, the of standards of instructions, education and examination of the and shall exercise such other powers and perform such other duties as be conferred or imposed upon it by this Act or the regulations. It shall the right to advise the Executive Council on all academic matters.</p> |
| <p><b>Constitution of namely:- the Academic Council</b></p>                                                                                                                                                                                                     | <p><b>20.</b></p> <p>(1) The Academic Council shall consist of the following members;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the Vice Chancellor, who shall be the Chairman thereof;</li> <li>(ii)</li> </ul> <p>three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or members of any profession or eminent public men, who are not in service of the University nominated by the Chairman in consultation with the Governing Council;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- (iii) the Principal Secretary/Secretary of Judicial Department, Government of Uttarakhand or his nominee not below the rank of Additional Secretary;
  - (iv) the Principal Secretary/Secretary of Higher Education Department, Government of Uttarakhand or his nominee not below the rank of Additional Secretary;
  - (v) Registrar General, High Court of Uttarakhand;
  - (vi) Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy;
  - (vii) a nominee of the Bar Council of Uttarakhand;
  - (viii) all the Heads of the Department of the University;
  - (ix) all Professors other than the Heads of the Department, if any;
  - (x) two members of the teaching staff, one each representing the Readers and the Lecturers of the University.
- (2) The terms of the members other than *ex-officio* members shall be three years.
  - (3) Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold such office of appointment.
  - (4) A member of the Academic Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice Chancellor or a member of faculty accepts full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council without the leave of the Chairman of the Academic Council.
  - (5) Unless the membership of the Academic Council thereof is previously terminated as provided in the foregoing sub-sections, members of the Academic Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Academic Council but shall be eligible for re-nomination or re-appointment, as the case may be.
  - (6) A member of the Academic Council other than an *ex-officio* member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Academic Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairman of the Academic Council.
  - (7) Any vacancy in the Academic Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authorities to make the same.

**Powers and duties of the following Academic Council**

**21.**

Subject to the provisions of this Act or the regulations, the Academic Council shall in addition to all other powers vested in it, have the powers; namely:-

- (i) to report on any matter referred to or delegated to it by the Governing Council or the Executive Council;
- (ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the qualifications emoluments and duties attached thereto;
- (iii) to formulate and modify or revise schemes for organisation of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and

also to report the Executive Council as to the expediency of the abolition or subdivision of any faculty or the combination of one faculty with another;

- (iv) to promote research within the University and to require, from time to time, report on such research;
- (v) to consider proposals submitted by the faculties;
- (vi) to lay norms and to appoint committees for admission to the University;
- (vii) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degree of the University;
- (viii) to fix, subject to any conditions accepted by the Governing Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowship, scholarship and other prizes and to award the same;
- (ix) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;
- (x) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding them;
- (xi) to declare the results of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour;
- (xii) to award stipends, scholarship, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;
- (xiii) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;
- (xiv) to prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulations; and
- (xv) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out the provisions of this Act and the regulations.

**Meeting of less the Academic Council**

of the  
a

**The Finance members; Committee**

- 22. (1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not than twice during an academic year.
- (2) The Chairman of the Academic Council shall preside over the meeting Academic Council, and in his absence, the members present shall elect person from amongst themselves to preside over the meeting.
- 23. (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following namely :-
  - (i) the Vice Chancellor;
  - (ii) one member nominated by the Governing Council from amongst its members;
  - (iii) one member nominated by the Executive Council from amongst its members;
  - (iv) the Principal Secretary/ Secretary, Finance Department, Uttarakhand or his nominee not below the rank of Additional Secretary;

(v) the Principal Secretary/ Secretary, Higher Education, Uttarakhand or his

nominee not below the rank of Additional Secretary;

(vi) the Principal Secretary/ Secretary, Judicial Department Government Uttarakhand or his nominee not below the rank of Additional Secretary;

(vii) the Registrar of the University;

(viii) the Finance Officer- Member Secretary.

(2) The nominated members of the Finance Committee shall hold office for a period of three years.

(3) The Finance Committee shall have the following powers, duties and functions:

(i) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;

(iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider re-appropriation statements and audit reports to make recommendations to the Executive Council;

(iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matter affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice Chancellor;

(4) The Finance Committee shall meet at least once in six months. Three members of the Finance Committee shall form the quorum.

(5) The Vice Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

**Selection  
making Committee  
posts of**

**24. (1)** The Executive Council shall constitute a Selection Committee for recommendations to the Executive Council for appointment to the teachers and other employees in the University.

(2) The selection committee shall consist of the following members; namely:-

(a) the Vice Chancellor who shall be Chairman of the Committee;

(b) the Head of the Department concerned, if any who is not lower in rank than that of the post for which selection is to be made;

(c) (i) where an appointment is to be made for any teaching post, three experts nominated by the Vice Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Academic Council and approved by the Executive Council;

(ii) where an appointment is to be made to any post other than concerned with teaching, three experts in the field of the University's administration to be nominated by the Vice Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Executive Council.

(3) Where an endowment from a donor is accepted by the University for establishing a Chair, the donor may be co-opted as member of the Selection Committee for the purpose of filling in that post.

- |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Officer of the University</b> | <p><b>25.</b> The following shall be the officers of the University, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the Vice Chancellor;</li> <li>(ii) the Heads of the Departments;</li> <li>(iii) the Registrar;</li> <li>(iv) the Finance Officer;</li> <li>(v) such other officers as may be prescribed by Regulations.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>The Vice Chancellor</b>       | <p><b>26.</b> (1) The Vice Chancellor of the University shall be appointed by the State Government on the recommendations of the Chancellor, which shall be binding on the State Government.</p> <p>(2) The Chancellor shall take into consideration, the recommendations of a committee which shall consist of the following; namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) one person to be nominated by the Chancellor;</li> <li>(b) one person to be nominated by the Governing Council;</li> <li>(c) one person to be nominated by the State Government.</li> </ul> <p>(3) The Committee shall, as far as may be, at least six months before the date on which a vacancy in the office of the Vice Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (4), and also whenever so required and before such date as may be specified by the Governing Council submit to the Governing Council the names of not less than three persons suitable to hold the office of the Vice Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Governing Council a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference. The Governing Council shall recommend these names to the Chancellor. The Governing Council may also forward some other names along with their academic qualifications and other distinctions for consideration of the Chancellor.</p> <p>(4) The Vice Chancellor, who shall be a person having wide range of experience in the legal, judicial and academic field or who has been a Judge of the High Court or who has been a professor of law in a recognized University, shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he/she completes the age of sixty five years, whichever is earlier :</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that the Vice Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chairman of the Governing Council resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Governing Council of such resignation.</p> <p>(5) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be such as may be prescribed.</p> <p>(6) The Chairman of the Governing Council may appoint any suitable person to the office of Vice Chancellor for a term not exceeding six months if the vacancy in the office of Vice Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term, of which a report shall forthwith be made by the registrar to the Chairman of the Governing Council.</p> <p>(7) If in the opinion of the Governing Council, the Vice Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the</p> |

powers vested in him, or if it otherwise appears to the Governing Council that the continuance of the Vice Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Governing Council may, after making proper inquiry

which shall be completed preferably within six months, after giving him an opportunity of being heard, and may recommend the removal of the Vice Chancellor to the Chancellor, who shall forward the recommendation to the State Government for further action.

(8) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (7) the Governing Council may order that till further orders :-

(a) such Vice Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (5);

(b) the functions of the office of the Vice Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

(9) The Vice Chancellor shall:-

(a) ensure that the provisions of this Act and the Regulations are duly observed and shall have all powers as are necessary for that purpose;

(b) subject to the specific and general directions of the Executive Council, the Vice Chancellor shall exercise all powers of the Executive Council in the management and administration of the University.

(c) convene the meetings of the Governing Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act;

(d) have all powers relating to the proper maintenance of discipline in the University.

(10) If, in the opinion of the Vice Chancellor, any emergency has arisen, which requires immediate action, he shall take such action as he deems necessary and shall report the same for confirmation, in the next meeting, of the authority concerned which in the ordinary course would have dealt with the matter.

**Heads of the  
the Department**

27. (1) There shall be a Head of the Department for each of the departments in University.

(2) The powers, functions, appointments and the conditions of service of the Heads of the Department shall be as prescribed by the regulations.

**The Registrar  
be**

28. (1) The Registrar shall be a whole time officer of the University. He shall be appointed by the State Government in consultation with the Vice Chancellor from amongst the senior officers of the Govt. He may be taken on deputation from any Government Department for such period as the Vice Chancellor thinks fit.

(2) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council. Academic Council, and the faculties, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(3) The Registrar shall:-

(i) comply with all directions and orders of the Executive Council and the Vice Chancellor.

- (ii) be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;
- (iii) issue all notices convening meeting of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculties the Board of studies and of any committee, appointed by the authorities of the University;
- (iv) keep the minutes of all meetings of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculties and any committee appointed by the authorities of the University;
- (v) conduct the official correspondence of the Executive Council and the Academic Council;
- (vi) supply the Chancellor the copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meeting;
- (vii) call a meeting of the Executive Council forthwith in an emergency, when neither the Vice Chancellor nor the officer duly authorised is able to act and to take its directions for carrying on the work of the University.
- (viii) represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify the pleadings under the directions of the Vice Chancellor and such pleadings or their verification and issuance of processes etc. as referred to in sub-section (3) of section 3 shall not be questioned on the ground that the Vice Chancellor has not authorized the Registrar to do so;
- (ix) be directly responsible to the Vice Chancellor for the proper discharge of his duties and functions;
- (x) perform such other duties as may be assigned to him from time to time, by the Executive Council or the Vice Chancellor under the provisions of this Act or the regulations.

- (4) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason, the Vice Chancellor may authorise any officer in the service of the University to exercise such powers, functions, and the duties of the Registrar as the Vice Chancellor deems fit.

**The Finance Officer**

- 29.** (1) The Finance Officer shall be appointed by the State Government.
- (2) The Finance Officer

shall:

- (a) present the budget (annual estimates) and the statement of account to the Executive Council and also draw and disburse funds on behalf of the University;
- (b) speak in and otherwise take part in the proceedings, pertaining to matters of finance, of the Executive Council except voting;
- (c) ensure that no expenditure, not authorized in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment);
- (d) disallow any proposed expenditure which may contravene the provision of this Act or regulations.

(e)ensure that no financial irregularity is committed and take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(f)ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed;

(g)to exercise general supervision over the funds of the University;

(h)collect the incomes, disburse the payments and maintain the accounts of the University;

(i)ensure that the registers of buildings, lands, items of furniture and equipments are maintained up-to-date and that stock checking of equipment and other consumable material is conducted regularly in the University;

(j)probe into any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against persons as fault.

(k)perform such other duties in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice Chancellor.

(3) In the event of the post of the Finance Officer remaining vacant for any reason the Vice Chancellor may authorize any officer in the service of the University to exercise such powers, functions and the duties of the Finance Officer as the Vice Chancellor deems fit;

**Other Officers and Employees.**  
setting  
shall be  
or

30. (1) Subject to the regulations made for the purpose every other officer or employee of the University shall be appointed under written contract out the conditions of service as prescribed by the regulations which lodged with the University and a copy thereof furnished to the officer employee concerned.
- (2) Any dispute arising out of the contract between the University and any of its officers or employees shall, at the request of the officer or the employee concerned, or at the instance of the University be referred to one- man tribunal to be known as Education Tribunal as notified by the State Govt. in compliance of the directions of the Supreme Court in T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka, [AIR 2003 SC, 355].

**Power to make Regulations**

31. (1) The Executive Council may make regulations for carrying out the provisions of this Act;

Provided that the Executive Council shall not make any regulations affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council :

Provided further that except with the prior concurrence of the Academic Council, the Executive Council shall not make, amend or repeal any regulation affecting any or all of the following matters, namely:

- (i) the constitution, powers and duties of the Academic Council;
- (ii) the authorities responsible for organizing teaching in connection with the University courses and related academic programmes;
- (iii)the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (iv)the establishment and abolition of faculties, departments, halls and institutions;

- (v) the institution of fellowships, scholarships, medals and prizes;
  - (vi) conditions and modes of appointment of examiners or conduct or standard of examinations or any other course of study;
  - (vii) mode of enrolment or admission of students;
  - (viii) examinations to be recognized as equivalent to Examinations of the University;
- (2) The Academic Council shall have the power to propose regulations on all the matters specified in clauses (i) to (viii) of sub-section (1) and matters connected therewith or incidental thereto.
- (3) Where the Executive Council has rejected the draft of any regulation proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Chancellor and the Chancellor may, by order, direct that the proposed regulations may be laid before the next meeting of the Governing Council for its approval and that pending such approval of the Governing Council it shall have effect from such date as may be specified in that order:

Provided that if any a regulation is not approved by the Governing Council at such meeting, it shall cease to have effect.

- (4) All regulations made by the Executive Council shall be placed before the Governing Council at its next meeting, and the Governing Council shall have the power to amend or cancel any regulation made by the Executive Council.

**Appointment of  
Commission**

32. (1) The Chancellor shall at least once in every five years constitute a **Review** commission to review the working of the University and to make recommendations.
- (2) The Commission shall consist of not less than three eminent persons in the field of law, one of whom shall be the Chairman of such Commission appointed by the Chancellor in consultation with the State Government.
- (3) The terms and conditions of the appointment of the members referred to in sub-section (2) shall be such as the Chancellor may determine.
- (4) The commission shall, after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendations to the Chancellor.
- (5) The Chancellor may take such action on the recommendations of the Commission as he deems fit.

**Fund of the  
namely :- University**

33. (1) There shall be a Fund of the University which shall include;
- (i) any contribution or grant made by the State Government;
  - (ii) any contribution or grant made by the University Grants Commission or Central Government;
  - (iii) any contribution made by the State Bar Council.
  - (iv) any bequests, donations, endowments or other grants made by private individuals or institutions;
  - (v) income received by the University from fees and charges; and
  - (vi) amounts received from any other source; but shall not include any funds received from any agency for sponsoring a scheme.
- (2) The amount in the Fund of the University shall be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934.

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The Annual Accounts and Audit</b>                         | <p>(3) The Fund of the University may be utilized for such purpose of the University and in such manner as may be prescribed.</p> <p>34. (1) The Annual Accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council.</p> <p>(2) The accounts of the University shall, at least once in a year, be audited by the Vice Chancellor, Local Funds Accounts, Uttarakhand or by such person or persons as the State Government may authorize in this behalf.</p> <p>(3) The accounts when audited shall be published by the Executive Council and a copy of the accounts together with the audit report shall be placed before the Governing Council and shall also be submitted to the State Government.</p> <p>(4) The Annual Accounts shall be considered by the Governing Council at its annual meeting. The Governing Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council. The Executive Council shall consider the suggestions made by the Governing Council and take such action thereon as it deems fit. The Executive Council shall inform the Governing Council at its next meeting, all actions taken by it or the reasons for not taking action.</p> |
| <b>Financial</b><br>prescribed <b>Estimates</b><br>place the | <p>35. (1) The Executive Council shall prepare before such date as may be by the regulations, the financial estimates for the ensuing year and same before the Governing Council.</p> <p>(2) The Executive Council may, in case where the expenditure in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions as may be prescribed. Where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the Governing Council at its next meeting.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Surcharge</b><br>loss,<br>such                            | <p>36. (1) An officer specified in section 25 shall be liable to surcharge for the waste or misapplication of any money or property of the University, if loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.</p> <p>(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Execution of Contracts</b><br>shall<br>Chancellor.        | <p>37. All contracts relating to the management and administration of the University shall be expressed as made by the Executive Council, and be executed by the Registrar with the concurrence of the Vice</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grant of Law Degree, Diploma etc, by the University</b>   | <p>38. The University shall have power to grant degrees, diplomas and other academic distinctions and titles under this Act.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Honorary</b><br>that an <b>Degree</b><br>the<br>such      | <p>39. In case two-third of the members of Academic Council recommend honorary degree or academic distinction be conferred on any person on ground that he is, in their opinion a distinguished personality to receive degrees or academic distinction, the Governing Council may, be a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

resolution, decide that the same may be conferred on the person recommended.

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Withdrawal of a Degree of a conferred Diploma of the less voting an</b>      | <p><b>40.</b> (1)The Governing Council, may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege on or granted to any person by a resolution passed by the majority total membership of the Governing Council and by a majority of not than two-third of the members of the Governing Council present and at the meeting, if such person has been convicted by a Court of law for offence, which in the opinion of the Governing Council involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.</p> <p>(2)No action under this section shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.</p> <p>(3)A copy of the resolution passed by the Governing Council shall be immediately sent to the person concerned.</p> <p>(4)Any person aggrieved by the decision taken by the Governing Council may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of the receipt of such resolution.</p> <p>(5)The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.</p> |
| <b>Transfer of and Property management the</b>                                  | <p><b>41.</b> The State Government may transfer to the University buildings, lands any other property whether movable or immovable for use and by the University on such conditions and subject to such limitations as State Government may deem fit for the purpose of this Act.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Discipline in hostels and</b>                                                | <p><b>42.</b> (1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice Chancellor. His directions that behalf shall be carried out by the Heads of the Departments, institutions of the University.</p> <p>(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the punishment of debarring a student from the examination or rustication from the University or a hostel or an institution shall, on the report of the Vice Chancellor, be considered and imposed by the Executive Council;</p> <p>Provided that no such punishment shall be imposed without giving to the student concerned a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sponsored Scheme to be and</b>                                               | <p><b>43.</b> Whenever the University receives funds from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme executed by the University, then notwithstanding anything in this Act regulations:</p> <p>(a) the amount so received shall be kept by the University separately from the Fund of the University and utilized only for the purpose of the scheme; and</p> <p>(b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proceeding of Authorities or not bodies not any invalidated by vacancies</b> | <p><b>44.</b> (1) Notwithstanding that the Governing Council, the Executive Council, the Academic Council or any other authority or body of the University is duly constituted or there is defect in its constitution or reconstitution at time, no act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall be invalid merely by reasons of:</p> <p>(a)any vacancy in or defect in the constitution thereof;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

(2) No resolution of any authority or body of the University shall be deemed to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member provided that the proceedings of such authority or body if not prejudicially affected by such irregularity.

**Removal of University or regulations, Difficulties**

45. If any difficulty arises with respect to the establishment of the in connection with the first meeting of any authority of the otherwise in giving effect to the provisions of this Act and the the State Government may, at any time, before all authorities of the University have been constituted, by order, make any appointment or do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act, which appear to it necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act :

Provided that before making any such order the State Government shall ascertain and consider the report in this behalf, if any, of the Vice Chancellor and such appropriate authority of the University as may have been constituted :

Provided further that no such order shall be made after two years of the date of notification of this Act :

Provided also that all such orders shall be place before the State Legislative Assembly.

**Transitory made Provisions**

funds,  
of

46. Notwithstanding anything contained in this Act and the regulations thereunder the Vice Chancellor may, with the previous approval of the Chairman of the Governing Council and subject to the availability of discharge all or any of the functions of the University for the purpose carrying out the provision of this Act and the regulations and for that purpose may exercise any powers or perform any duties, which by this Act and the regulations are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence as provided by this Act and the regulations.

**Indemnity**

of

47. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect anything which is done or purported to have been done in good faith in pursuance of this Act or any regulations.

**Act to have overriding law effect of**

48. The provisions of this Act and any regulation shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other for the time being in force or in any instrument having effect by virtue any law other than this Act.

**Repeal and savings**

49. (1) The Uttarakhand National Law University Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.